BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL BENCH BHOPAL (M.P.)

APPEAL NO. 01/2022 (CZ)

IN THE MATTER OF:-

BALAJI INT UDHYOG -----------------------------------APPELLANT

//VERSUS//

STATE OF RAJASTHAN AND ORS---------------RESPONDENTS

REPLY ON BEHLAF OF RESPONDENT NO. 1 AND 2

PARAWISE REPLY TO THE APPEAL FILED BY THE APPELLANT

THE ANSWERING RESPONDENTS MOST RESPECTFULLY SHOWETH:-

1. That this appeal has primarily been filed against the orders dated 8.12.2021 and 19.01.2022, passed by the Rajasthan State Pollution Board, Bikaner, wherein Closure of Brick Klin has been ordered under section 31-B of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981and further compensation has been imposed of Rs. 26,09,250/ on the appellant.

   It is most respectfully submitted that the answering respondents has neither passed such order nor is directly or indirectly connected with the issue pending before this Hon'ble Court. It is the State Pollution Control whose order are pending before this Hon'ble Tribunal. However the answering begs to submits that for the convenience of this Hon'ble Court and for bringing the issue to a logical conclusion, there are certain facts which requires clarification and answering respondents carves to state then herein below.

2. That the contents of the Para 1 of appeal are admitted to the extent mentioned herein below, as mentioned that the land of the Appellant is situated in chak 12 O at Muraba No. 37 at Kila No. 16,17 and 18 and 23 to 25 and at Muraba No. 42 at Kila No. 1,2 and 9 to 12 Bigha Land. It is pertinent to note that a Brick kiln has been established on the aforesaid land, however there is no information regarding the establishment of Brick kiln in the records of the Respondent No.1 and 2.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. That the contents of the Para 2 of appeal are partially denied. The Mining Department of District, Sriganganagar has granted permission only for excavation of soil for a period of 5 years in 2013. However no information has been provided by the Appellant regarding the actual number of workers on the site to the Respondent No. 1 and 2.

4. That the Contents of the Para 3 of the appeal are partially admitted.It is admitted that Respondent No. 1 has granted permission for excavation regarding Brick kiln, Rest of the contents of para 3 of appeal are specifically denied.

5. That the Contents of Para 4 of appeal are partially admitted.It is admitted that the Appellant has purchased aforesaid land from Rakesh Chandra, Ramnarayan ,Chimanlal. However it is pertinent to note that there is no information of Brick Kiln in the revenue records which itself is violation of Lease Conditions as mentioned in clause 4(g).

6. That the contents of the Para 5 of appeal are partially admitted.It is admitted that RSPCB has granted permission to the Appellant for functioning of Brick kiln Unit, However due to the excessive pollution and violation of conditions of the permissions granted by the RSPCB, show cause notice has been issued to the Appellant.

7. That the Contents of Para 6 of appeal are partially admitted. It is admitted that the Appellant has preferred an application for conversion of agricultural land dated19/09/2012. However, it is pertinent to note that without there being any effective orders on conversion of the aforesaid land the Brick Kiln Unit was established

8. That the Contents of Para 7 of appeal are not disputed.

9. That the Contents of Para 8 of appeal are partially admitted.It is admitted that the agricultural land of the some persons are converted but it has no bearing on the present issue as it is different. As it is pertinent to note that the Appellant was operating the Brick Kiln prior to the conversion permission which is in total disregard to the rules and the appellant is liable for strict action.

10. That the Contents of Para 9 of the appeal are partially admitted.It is admitted that the RSPCB has issued show cause notice to the Appellant for non-conversion of agricultural land. However, it is pertinent

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
श्रीगंगानगर (श्रीगंगानगर)

to note that other than non-conversion of agricultural land there were several violations which have been committed by the Appellant for which the show cause notice was issued.

11. That the Contents of Para 10 of appeal are partially denied.It is admitted that Appellant has again gave representation dated 8/10/2021 for conversion of land. However due to aforesaid land comes under the periphery area of the Srikaranpur Municipal Council the aforesaid representation was forwarded to the officer in charge for further action. That the Sub Divisional Office has no authority to pass an order in this regard. As the Appellant has not made Srikaranpur Municipal Council or its concerned officer a party, the appeal is liable to be dismissed on this account also.

12. That the Contents of Para 11 of appeal are partially denied.It is admitted that the Appellant was again issued final show cause notice dated 16/11/2021 because the Appellant was failed to respond the previous show cause notices.

13. That the Content Para 12 of appeal are denied. It is submitted that a very short reply ahs been filed by the appellant to the SCN but the appellant has dodged the queries put up in the notice.

14. That the Contents of Para 13 of appeal are partiallydenied. That the appellant himself states that he was put to notice that the land in question comes within jurisdiction of Nagar Palika, still the appellant has failed to make Municipal Counsel or its officer a party and therefore this appeal should be dismissed on ground of not joinder of necessary party.

15. That the Contents of Para 14 of appeal are not disputed.

16. That the Content Para 15 are not disputed as being matter of record.

17. That the Content of Para 16 are not disputed.

18. That the Contents of Para 17are not disputed as being matter of record.

19. That the Contents of Para 18 are not disputed.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

20. That the Contents of Para 19 of appeal are denied. It is submitted that there is not fact to establish that appellant has appeared before concerned authority for proceedings for land conversion.

21. That the Contents of Para 20 are not disputed.

22. That the Contents of Para 21 are not disputed.

23. That the Contents of Para 22 of appeal are specifically denied. It is pertinent to note that the Appellant failed to comply with the conditions and requirements imposed by the RSPCB therefore, the show cause notice was served for above mentioned violations.

24. That the Contents of Para 23 are false and specifically denied except the fact that the Appellant has made an application for conversion on 19/06/2012.

25. That the Contents of Para 24 are not disputed

26. That the Contents of Para 25 are not disputed

27. That the Contents of Para 26 are vehemently denied.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

PRAYER

It is therefore most respectfully that in the light of the above made submission this Hon'ble Court be pleased to pass necessary orders/directions it deem fit in the interest of justice.

DATE:-
BHOPAL

RESPONDENT NO. 1 &2
THROUGH COUNSEL SHOEB HASAN KHAN
STANDING COUNSEL FOR STATE OF RAJASTHAN

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

NOTARY ★ Surender Pal Goyal Advocate & Notary Sri Karanpur (Raj.) Regd.No. 313 ★ GOVT. OF RAJASTHAN

NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL BENCH BHOPAL (M.P.)

APPEAL NO. 01/2022 (CZ)

IN THE MATTER OF:-

BALAJI INT UDHYOG ------------------------------------APPELLANT

//VERSUS//

STATE OF RAJASTHAN AND ORS----------------RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Subhash Chandra, S/o Shri Pitha Ram Aged about – 54 years Posted as SDO Karanpur. Address – Distt. Sri Ganganagar Rajasthan do hereby take oath and state as under;

1.That, I am the Officer in Charge onbehalf of the Respondent no.1&2, in the instant Reply to the Original Application and well conversant with the facts of the present case and its annexures.

2.That the contents of the attached Reply to the Original Application and its annexures, which has been drafted by my counsel under my instructions, and I have understood the same.

3.That the contents of attached Reply to the Original Application and its annexures are true to the best of my knowledge and belief. I have not suppressed any materials facts therein and the documents annexed with the Reply to the Original Application and its annexures are true copies of its respective originals supplied by me. The documents annexed with the Petition are the only documents supplied by me.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
Deponent

VERIFICATION

I, Subhash Chandra, the above-named deponent, do hereby verify that the contents of paras 1 to 3 of the affidavit are true to my knowledge and believed to be true.

Verified and signed on 21st day of May 21/2022, at Sri Karanpur

Identified by...Bihari Lal Datt
S/o Sh. Nirjanand... Agarwal
R/o.................Teh Srikaranpur
Srikaranpur

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
Deponent

ATTESTED
21/05/2022
Surender Pal Goyal
Advocate & Notary
Sri Karanpur (Raj.)

वकालतनामा

अदालत..............................

....

अपील नम्बर 01/2022(CZ)

बालाजी इन्द्र उद्योग..............................बनाम स्टेट आफ राजस्थान एवं अन्य

मनके माया के..............................

....

जो कि मुकद्दमा अनवान में अपनी तरफ से वास्ते पैरवी व जवाबदेही मुकाम..............................

के श्री सुभाषचन्द्र चौधरी..............................

हाल - उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

को वकील मुकरर करके दकरार करता हूँ कि वकील साहब मौसूब अदालत पेश होकर पैरवी व जवाबदेही करें और सवाल जवाब करें अर्जी दावा या इस्तगासा पेश करें उस पर तस्दीक इबारत कर दस्तखत मेरे बकलम करें या दस्तक लिम्बत किये जाने जमानत हस्बदफा 496 या दरखास्त इस्बदफा 440 व 692 उनके एतराज हस्य जाब्ता फोजदारी पेश करें या अपील निगरानी नजरसानी व तजबीज सानी पेश करें या दरखास्त नासब नम्बर या फरीद मुकदमा बनाये जाने जावेदा फरीक खारिज किये जाने का पेश करें या दरखास्त अनुसवा या डिग्री यकतरफा या तरमीम नालशात मुताबिक अदालत आम दरखास्त तक रुरी वाली या उनके जवाबबात पंश करें या दरखास्त हाजरी नालशात मुस्तरानी किये जाने का पेश करें या दरखास्त दायर अपील की मयसूद गिरफ्तार या कैद करावें या उन्हे रिहाई दलावे ख्र्वा कद दाखिल करें या वापिस लेवें आमदाह मयसूद हर किस्म कुकह निलाम कराये या इजराय हासिल करके मेरी तरफ से रुपया मेरे अखब रसीद वसूल करें बन्द सवाल जारी करावें या जवाब पेंश करें जिरह बहस करें बशर्ते पात किया मुकद्मा सालस मुकरर करें। मेरी तसब ब्यान हल्की करावें कमीशन जारी करावें सबूत हर किस्म पेश करके दस्तावेज करवा व पिसलेव इजाराय करावें गोया कि जो कुछ कार्यवाही हस्ब मजमुआ जाब्ता फौजदारी मिनमुकर बजाते खुद कर सकता है वह सब वकील साहब मोसूफ बशर्ते अदायगी कुलहम मेहनताना मुकरर कराने का अखत्यार होगा हरजाना जो दौरान मु[illegible]दमें वजह इतलावा मुकद्मा मिले उनके लेने के वकील साहब मासूफ हकदार होवें और मिनमकर फीस वकील साहब को अदा न करें तो अख्त्यार होगा कि वह जिस वक्त चाहे पैरवी मुकद्मा छोड देवे नाज साहब मौसूफ को अख्त्यार होगा कि बशर्ते किसी अन्य वकील सा मुखत्यार मुकरर करके उस शक्स या मुखत्यार को भी बेहस का अखत्यार मुकरर करके उस शक्स या मुख्त्यार को भी बेहस का अख्त्यार हासिल होगे जो वकील मौसूफ को हासिल है। लिहाजा वकालतनामा लिख दिया सनद रहे।

ता..............................

नोट :- वकालतनामा अच्छी तरह सुना व समझ लिया है।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
(राजस्थान)

पैरवी मन्जूर है

अलब्द

अलब्द

अलब्द

192

रुक्मणि रियार सिहाग,
जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

(REVENUE DEPARTMENT)

यूनिक कोड नं० 52-611-5197-407-10-1/2022
दिनांक: 10-03-2022

क्रमांक: प- 01/22/ 5505

आदेश

विषय– i. वाद/याचिका/अपील सं0: CIVIL APPEAL/ APPEAL/1/2022
ii. याची/वादी/अपीलार्थी : Balaji Int Udhyog Chak 12 O, Tehsil Karanpur
iii. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी: State of Rajasthan through the District Collector, Sri ganganagar
iv. न्यायालय का नाम: NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT), Bhopal

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम, 5 वर्ष 1908) के आदेश XXVII के नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महामहिम राज्यपाल महोदय / संस्था की ओर से उक्त प्रकरण में जवाब/अपील/रिट प्रस्तुत करने, अभिवचनों को सत्यापित करने एवं विविध आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निम्न को प्रभारी अधिकारी/समन्वयक नियुक्त किया जाता है :-

प्रभारी अधिकारी/समन्वयक का नाम : SDO SRIKARANPUR
पदनाम : S.D.M.
पता : SRIKARANPUR
Mobile No / Email : 9829341962 / sdmskp@gmail.com

प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को यह व्यादिष्ट किया जाता है कि वे राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली, 1999 के नियम 233 में उल्लेखित दायित्व एवं कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तत्काल पश्चात् निम्न कार्य भी सम्पादित करेंगे:–

1. प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में तत्काल आवश्यक जानकारी एवं आगामी तारीख पेशी ज्ञात करके राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
2. प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित सभी पत्रावलियां/दस्तावेज/अधिनियम/नियम/ विनियम/परिपत्र /दिशा–निर्देश /अधिसूचना /आदेश /सूचना एवं सुसंगत तथ्य एकत्रित करेंगे।
3. प्रकरण में उठाये गये सभी तथ्य एवं बिन्दुओं का प्रशासनिक अनुभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं तथ्यों के आधार पर प्रकरण का पैरा कमानुसार तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार करते हुए एवं ऐसी अतिरिक्त जानकारी अंकित करते हुये जो राजकीय अधिवक्ता एवं राज्य पक्ष के प्रतिरक्षण/पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक/सहायक हो, तैयार करेंगे।
4. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभाग से तथ्य एवं तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करके राजकीय अभिभाषक को प्रकरण का ब्रीफ, प्रभारी अधिकारी/समन्वयक के नियुक्ति पत्र के साथ प्रपत्र 'क' में उपलब्ध करायेंगे, जिसमें प्रकरण की पैराक्रमानुसार तथ्यात्मक स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण की विषयवस्तु का दिनांकवार विवरण एवं घटनाक्रम अनुसार, सम्बन्धित नियम, अधिनियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं दिशा–निर्देश और यदि पूर्व में समान बिन्दुओं पर निर्णित उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्णय हो तो वे (List / Details of Dates and Events, Act, Rules, Notification, Circular, Guidelines etc, Courts Judgments relevant & under reference) भी प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा स्वयं के ज्ञान व विभाग के अभिलेखानुसार ज्ञात कर इस ब्रीफ में सम्मिलित किये जायेंगे।
5. न्यायालय में दायर किये जाने वाले वाद/ अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/विविध प्रार्थना पत्र आदि की विभागीय तथ्यात्मक स्थितियां /आधार एवं तथ्यों का अभिलेख के साथ एकत्रिकरण किया जावें, जिनके आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
6. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एवं पैनल लॉयर/स्टेंडिग कॉउन्सिल/राजकीय अधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/अतिरिक्त महाधिवक्ता की प्रकरण में पैरवी हेतु नियुक्ति हो जाने पर संबंधित अधिवक्ता से अतिशीघ्र सम्पर्क करके वांछित कार्यवाही सम्पादित की जावे।
7. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक प्रकरण के सुसंगत, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तथ्यों व अभिलेख के साथ यथा समय पूर्व राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करके आवश्यक प्रार्थना पत्र जवाब/अपील/रिट आदि तैयार न्यायालय में प्रस्तुत करायेंगे।
8. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा उपर्युक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सामग्री के साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क करके लिखित कथन/प्रत्युत्तर/अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/रिट याचिका/प्रार्थना पत्र आदि तैयार करवाया जावेगा और प्रारूपित दस्तावेज पर स्वयं एवं राजकीय अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाकर तथ्यों का सत्यापन/ प्रमाणीकरण/अनुमोदन विधिक्षा हेतु प्रशासनिक अनुभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।
9. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक न्यायालय में पैरवी करे रहे राजकीय अधिवक्ता के पास प्रकरण पत्रावली परिपूर्ण एवं नवीनतम प्रगति व सूचनाओं सहित उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करेंगे।
10. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक प्रकरण में न्यायालय में निर्धारित की गई सुनवाई की तारीख, प्रकरण की प्रगति एवं उसमें सम्पादित होने वाली आगामी कार्यवाही से स्वयं एवं विभाग को सदैव अवगत रखेंगे।

11. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक प्रत्येक तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित हो कर राजकीय अधिवक्ता की पैरवी करने में मदद करेंगे और समय-समय पर साक्ष्य, अभिलेख एवं प्रकरण की वर्तमान नवीनतम प्रगति प्रशासनिक अनुभाग/सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारी से ज्ञात करके न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगे। अतः प्रभारी अधिकारी/समन्वयक प्रकरण की नवीनतम जानकारी एवं प्रगति निरन्तर प्राप्त करते रहेंगे।
12. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक प्रत्येक तारीख पेशी की कार्यवाही विवरण एवं आगामी तारीख पेशी का अंकन पत्रावली पर अंकित कर विभाग को अवगत करायेंगे और LITES के प्रपत्र 3 में आगामी तारीख का व्यक्तिशः इन्द्राज करवायेंगे।
13. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा न्यायालय से कोई आदेश, निर्देश, निर्णय पारित होने पर विभाग को उसके तथ्यों सहित उसी दिन जानकारी/सूचना उच्चाधिकारी को देनी होगी। प्रभारी अधिकारी/समन्वयक न्यायालय के उक्त निर्देश/आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन अथवा आगामी दिवस को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
14. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक प्रकरण में स्वयं की रिपोर्ट और राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ न्यायालय के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
15. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक का दायित्व विभाग के विरूद्ध पारित निर्णय के सन्दर्भ में आगामी अपीलीय कार्यवाही में अन्य प्रभारी अधिकारी/समन्वयक की नियुक्ति अथवा निर्णय की अनुपालना होने तक निरन्तर रहेगा।
16. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक वादकरण प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु न्याय विभाग की वेबसाइट LITES के निर्धारित सभी प्रपत्रों का संधारण करेंगे एवं LITES/Updation Centre को समय-समय पर प्रकरण प्रगति व अद्यतन सूचना प्रस्तुत करेंगे।
17. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को स्थानान्तरित होने पर सभी प्रकरणों की सूची, पत्रावलियां, अभिलेख, आगामी तारीख पेशी और उस पर न्यायालय में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को उपलब्ध करवाया जावेगा और इस आशय को प्रस्तुत करेगा अन्यथा स्थिति में अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र (L.P.C) जारी नहीं होगा।
18. यदि प्रभारी अधिकारी/समन्वयक उपर्युक्त निर्देशों की उपेक्षा करता है अथवा इनके प्रति असावधान पाया जाता है तो स्वयं को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनायेगा।

रूक्मणि रियार सिहाग
जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांकः प- 01/22/ 5506 - 08

दिनांकः ~~10~~ 16-03-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-7) विभाग, जयपुर प्रेषित कर निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच, भोपाल में पैरवी हेतु प्रकरण में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की नियुक्ति विधि विभाग से करवाने का श्रम करावें।
2. श्रीमान उप शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच, भोपाल में पैरवी हेतु प्रकरण में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की नियुक्ति करवाने का श्रम करें।
3. उपखंड अधिकारी, श्रीकरनपुर को प्रेषित कर लेख है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच, भोपाल से संपर्क कर प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से समस्त समुचित कार्यवाही करे।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

रूक्मणि रियार सिहाग
जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर